

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी प्र०क० निगरानी-2800/2018/कटनी/भू.रा

- 1- छदामी पुत्र विशाली
- 2- मिधियाबाई पत्नी स्व० विशाली
- 3- सोनेलाल पुत्र विशाली (मृत) वारिसान -
(अ) श्रीमती गौराबाई पत्नि स्व० श्री सोनेलाल
(ब) सुरेश कोल पिता स्व० श्री सोनेलाल
(अ) संजू कोल पिता स्व० श्री सोनेलाल
(अ) श्याम बाई कोल पुत्री स्व. श्री सोनेलाल
(अ) सियाबाई कोल पुत्री स्व० श्री सोनेलाल

श्री. चमराजपुत्र, कटनी
दिनांक 07.5.18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 28.5.18 नियत।

कटनी न्यायालय, ग्वालियर
शजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
निवासीगण ग्राम कन्हवारा
तहसील व जिला कटनी म०प्र०



----- आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- श्री लकी सचदेवा पुत्र श्री सुरेश सचदेवा
निवासी दुबे कालोनी कटनी,
तहसील व जिला कटनी
- 2- म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, कटनी

----- प्रत्यर्थागण

Dehat
07.5.18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959
न्यायालय कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण कमांक
16/अ-21/16-17 में पारित आदेश दिनांक 6-3-18 के विरुद्ध

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों
पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

तथ्य


- 1- यहकि आवेदक कमांक 1 एवं अन्य सहखातेदारों द्वारा अपने
भूमिस्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम मदनपुरा प०ह०नं० 12 रा०नि०मं०

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2800/2018/कटनी/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30/5/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर,कटनी द्वारा प्र0क्र0 16/अ-21/16-17 में पारित दिनांक 6-3-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति का है । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा यह मानते हुए कि पक्षकारों को प्रकरण चलनशीलता में रुचि नहीं है प्रकरण दिनांक 6-3-18 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों एवं प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर न करते हुए गुणदोषों पर करना चाहिए था,जो न करने में उनके द्वारा त्रुटि की गई है । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।</p> <p>3/ प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भूमि के विक्रय की अनुमति से संबंधित है, जो आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आवेदन में आवेदक क्रमांक 1 एवं अन्य सहखातेदारों द्वारा अपने स्वामित्व एवं</p>	






छदामी आदि विरूद्ध लकी सचदेवा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम मदनपुरा प0ह0नं0 12 रा0नि0मं0 मुड़वारा-2 खसरा नं0 140 रकबा 1.550 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक-1 को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है विक्रय हेतु आवेदित भूमि आवेदक की पैत्रिक भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति की सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त 3.79 हैक्टर भूमि अन्य ग्राम में शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः कलेक्टर, कटनी द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06-3-18 निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगण को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम मदनपुरा प0ह0नं0 12 रा0नि0मं0 मुड़वारा-2 खसरा नं0 140 रकबा 1.550 हैक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक को विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदकगण को अदा किया जायेगा । उप</p>	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2800/2018/कटनी/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।</p> <p>पक्षकार सूचित हों ।</p> <p></p> <p>(एम. गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य</p>	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2800/2018/कटनी/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30-5-18 के पैरा -3 की 8वीं एवं 27वीं लाइन में टंकण की त्रुटिवश खसरा नं0 140 टंकित हो गया है जबकि सही खसरा नं0 410 है. उक्त टंकण की त्रुटि को सुधारा जाना आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है। अतः न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 30-5-18 के पैरा -3 की 8वीं एवं 27 वीं लाइन में खसरा नं0 140 के स्थान पर खसरा नं0 410 पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा ।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशा0 सदस्य</p>	